



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 318 राँची, सोमवार, 6 ज्येष्ठ, 1946 (श०)
27 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

15 मार्च, 2024

संचिका संख्या-7/प्रोन्नति-202/2015 का. 2095--W.P.(S)No- 2598/2015 संजय कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-06.11.2017 को पारित न्यायादेश के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"Petitioner is entitled for the perks and salary which other similarly situated persons appointed along with the petitioner have been given i.e. scale of Rs. 9,300-34,800."

इस वाद के विरुद्ध दायर L.P.A. No-477/2018 में पारित न्यायादेश द्वारा उक्त पारित न्यायादेश को यथावत् रखा गया। ममनीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP No.-14421/2021 में दिनांक-27.09.2021 को पारित न्यायादेश निम्नवत् है:-

"We do not find any good ground to interfere with the judgment and order passed by the High Court".

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-954 दिनांक-21.02.2022 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक-06.11.2017 को पारित उक्त न्यायादेश के अनुपालनार्थ श्री संजय कुमार को जल संसाधन विभाग में विपत्र लिपिक के पद पर नियुक्ति की तिथि-12.12.1995 से झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के वरीय सचिवालय सहायक की पारस्परिक वरीयता निर्धारित करते हुए औपबंधिक वरीयता सूची में शामिल कर वरीयता क्रमांक 173 'A' आवंटित किया गया।

3. W.P.(S)No-2598/2015 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-06.11.2017 को पारित न्यायादेश द्वारा श्री संजय कुमार, वरीय सचिवालय सहायक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके साथ नियुक्त कर्मियों के सदृश प्रोन्नति एवं अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करने का निदेश दिया गया। श्री संजय कुमार से कनीय तथा अनुकम्पा के आधार पर उनके साथ नियुक्त श्री संतोष कुमार झा को विभागीय कार्यालय आदेश सं-265 दिनांक-01.10.2012 द्वारा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की गयी। जबकि श्री संजय कुमार भंडारपाल के पद पर कार्यरत रहने तथा उनका नाम झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा अन्तर्गत निर्मित वरीयता सूची में शामिल नहीं रहने के कारण वरीय सचिवालय सहायक से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति नहीं की गयी।

4. इसी प्रकार श्री सोमेश्वर सोरेन, वरीय सचिवालय सहायक, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को साहित्यालंकार की योग्यता प्राप्त करने की सूचना देने के पश्चात् स्समय प्रोन्नति की कार्रवाई नहीं होने एवं बाद में हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दी जाने वाली साहित्यालंकार की उपाधी की मान्यता समाप्त किये जाने के कारण वरीय सचिवालय सहायक से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति नहीं की गयी। जबकि श्री सोमेश्वर सोरेन से कनीय श्रीमती तारामती को साहित्यालंकार की शैक्षणिक योग्यता पर ही विभागीय कार्यालय आदेश सं-265 दिनांक-01.10.2012 द्वारा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कोटि में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की गई है।

5. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2074 दिनांक-04.04.1985 में वैचारिक प्रोन्नति के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया है कि सम्बन्धित वरीय सरकारी सेवक को कनीय को दी गई तिथि से प्रोन्नति देते हुए उनका वेतन उच्चतर वेतन में इस प्रकार निश्चित किया जाएगा, मानो कनीय को दी गई प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नत हों तथा इसका वास्तविक लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगा।

6. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3475 दिनांक-15.06.23 द्वारा कार्मिक विभागीय पत्रांक-1863 दिनांक-26.02.2015 एवं पत्रांक-4786 दिनांक-01.06.2015 को निरस्त करते हुए दिनांक-26.02.2015 एवं इसके पूर्व हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा निर्गत विषयांकित उपाधियाँ नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए मान्य किया गया है।

7. श्री संजय कुमार हिन्दी विद्यापीठ, देवघर, देवघर से साहित्यालंकार (बी०ए०) की परीक्षा दिनांक-12.09.2012 को उत्तीर्ण हुए हैं तथा इनके इस शैक्षणिक प्रमाणपत्र की सम्पुष्टि हिन्दी विद्यापीठ, देवघर के पत्रांक-253 दिनांक-12.05.2015 द्वारा की गई है। श्री सोरेन हिन्दी विद्यापीठ, देवघर से दिनांक-21.09.2012 को साहित्यालंकार (बी०ए०) की परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं तथा हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दिनांक-01.02.2013 को उनकी साहित्यालंकार की उक्त डिग्री को सम्पुष्ट किया गया है। अर्थात् दोनों कर्मियों की साहित्यालंकार की शैक्षणिक योग्यता दिनांक-26.02.2015 से पूर्व की है।

8. दिनांक-21.11.2023 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा श्री संजय कुमार, वरीय सचिवालय सहायक एवं श्री सोमेश्वर सोरेन, वरीय सचिवालय सहायक को उनकी शैक्षणिक योग्यता की सम्पुष्टि की तिथि क्रमशः दिनांक-12.05.2015 एवं दिनांक-01.02.2013 से योग्य मानते हुये झारखण्ड सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (पी.बी.-II, रु० 9300-34800/-, ग्रेड पे. 4600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-7) में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति किये जाने की अनुशंसा की गई है।

9. अतः दिनांक-21.11.2023 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के श्री संजय कुमार, वरीय सचिवालय सहायक एवं श्री सोमेश्वर सोरेन, वरीय सचिवालय सहायक को उनकी शैक्षणिक योग्यता की सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (पी. बी.- II रु० 9300-34800/-, ग्रेड पे. रु० 4600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-7) के पद पर आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से निम्नरूपेण प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम/पदस्थापन एवं वरीयता क्रमांक	जन्म तिथि/ से०नि० की तिथि	विपत्र लिपिक/ टंकक के पद पर योगदान एवं सम्पुष्टि की तिथि	आरक्षण रॉस्टर बिन्दु जिसके विरुद्ध प्रोन्नति अनुशंसित है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री संजय कुमार, वरीय सचिवालय सहायक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची (वरीयता क्र०-173 'A')	12.04.1967 30.04.2027	12.12.1995 02.03.1999	अनारक्षित	शैक्षणिक योग्यता की संपुष्टि की तिथि दिनांक-12.05.2015 को झारखण्ड सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (पी. बी.-II, पे. बैंड रु० 9300-34800/-, ग्रेड पे. रु० 4600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-7) में भूतलक्षी प्रभाव से आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया जाता है

2	श्री सोमेश्वर सोरेन, वरीय सचिवालय सहायक, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची (वरीयता क्र0-212)	20.01.1973 31.01.2033	09.08.1997 11.08.2000	अनुसूचित जन जाति	शैक्षणिक योग्यता की संपुष्टि की तिथि दिनांक-01.02.2013 को झारखण्ड सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (पी. बी.-II, पे. बैंड रु0 9300-34800/-, ग्रेड पे. रु0 4600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-7) में भूतलक्षी प्रभाव से आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया जाता है
---	--	--------------------------	--------------------------	------------------	---

10. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74, झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2074/वि(2) दिनांक 04.04.1985, जो भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति व आर्थिक लाभ नहीं दिये जाने के प्रावधान से संबंधित है एवं अन्य संगत परिपत्रों को विशेष परिस्थिति में शिथिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

11. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

12. उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

13. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संलेख जापांक-1835 दिनांक-11.03.2024 में सन्निहित प्रस्ताव पर दिनांक-11.03.2024 को मंत्रिपरिषद् की बैठक की मद संख्या-10 के रूप में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव।
